

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

दिनांक : 28 जुलाई, 2014

सां. अ. - भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 19 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एतदद्वारा 20 अगस्त, 2014 या दूसरे सदस्य की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएएटी) के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में क्रमशः न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर तथा श्री राहुल सरीन की नियुक्ति के साथ विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएएटी) की पुनर्संरचना की है।

आलोक सिन्हा
(आलोक सिन्हा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(फाइल सं. ए-12023/001/2009-एडी)

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।

प्रति प्रेषित :

1. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. श्री न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर, अध्यक्ष, एईआरएएटी।
3. श्री राहुल सरीन, सदस्य, एईआरएएटी।